कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर छत्तीसगढ़

—: विविध आदेश :—

क्रमांक **852**/कार्या./2021 रायपुर, दिनांक 25/04/2021

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर के आदेश दिनांक 07.04.2021 एवं 17.04.2021 के अनुसार सम्पूर्ण रायपुर जिले को दिनांक 09.04.2021 को शाम 6:00 बजे से दिनांक 26.04.2021 प्रातः 6:00 बजे तक कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया था। तत्पश्चात्, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर के आदेश क्रमांक/407/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2021 रायपुर दिनांक 24.04.2021 के अनुसार सम्पूर्ण रायपुर जिले को दिनांक 06.05.2021 प्रातः 6:00 बजे तक पुनः कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। तत्संबंध में माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 66 (Mis) बिलासपुर दिनांक 05.04.2021 की कंडिका 11 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए, इस जिला स्थापना अन्तर्गत जिला मुख्यालय रायपुर एवं बाहय न्यायालय तिल्दा में इस अवधि में न्यायालयों का सामान्य क्रियाकलाप स्थगित किया जाता है, इस अवधि में न्यायालयों में कार्य सम्पादन की व्यवस्था निम्नानुसार होगी :—

(1) इस अवधि में न्यायालयों का सामान्य क्रियाकलाप स्थगित रहेगा और अत्यंत आवश्यक कार्य ही न्यूनतम अधिकारियों/ कर्मचारियों के सहयोग से संपादित किये जायेंगे।

(2) इस अवधि में मात्र अत्यावश्यक प्रकरणों की ही सुनवाई की जायेगी और मामले के अत्यावश्यक होने या न होने के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र संदर्भित किया जायेगा, और उनके द्वारा ही यह विनिश्चय किया जावेगा कि मांमला अत्यंत आवश्यक प्रकृति का है या नहीं।

(3) इस अवधि में रिमाण्ड, जमानत, सुपुर्दनामा, दण्ड के स्थगन संबंधी प्रकरण अन्तर्गत धारा—389 (1) दं.प्र.सं. एवं सिविल प्रक्रिया सहिता के आदेश 39 नियम 1, 2 से संबंधित मांमलों की सुनवाई की जावेगी।

(4) इस अवधि में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय सीमा में निराकृत किये जाने वाले मांमलों की सुनवाई संबंधित न्यायालय नियमित रूप

से न्यूनतम स्टाफ के साथ सम्पादित करेंगे, इन प्रकरणों की सुनवाई पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(5) इस अवधि में ड्यूटी हेतु नामित समस्त न्यायिक अधिकारीगण के अतिरिक्त अन्य न्यायिक अधिकारीगण अपने घर से आवश्यकतानुसार कार्य का संपादन करेंगे।

(6) इस अवधि में समस्त न्यायिक अधिकारी/कर्मचारीगण मुख्यालय में ही उपस्थित रहेंगे और जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा उनके पीठासीन अधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचित किये जाने पर तत्काल कर्त्तव्य पर उपस्थित रहेंगे। उन्हें उक्त अवधि में न्यायालय/ कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा। जिन न्यायिक अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई हो मात्र उक्त न्यायिक अधिकारी/ कर्मचारियों को उपस्थित होना आवश्यक होगा।

(7) दिनांक 26.04.2021 से 30.04.2021 तक नियत प्रकरणों की सुनवाई इस न्यायालय के विविध आदेश कमांक 743/कार्यालय/2021, रायपुर दिनांक 06.04.2021 की कंडिका 11 के अनुसार नियत आगामी तारीख को होगी।

(8) दिनांक 01/05/2021 से दिनांक 06/05/2021 तक नियत सिविल एवं दांडिक प्रकरणों की सुनवाई निम्न तालिका अनुसार होगीः—

कमांक	प्रकरण नियत दिनांक	आगामी सुनवाई हेतु नियत दिनांक
1.	01/05/2021	06/07/2021
2.	03/05/2021	07/07/2021
3.	04/05/2021	08/07/2021
4.	05/05/2021	09/07/2021
5.	06/05/2021	12/07/2021

(9) उक्त अवधि में पाक्सो विशेष न्यायालयों के हेतु रिमांड और अत्यावश्यक कार्यों का संपादन श्रीमती शुभ्रा पचौरी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय पाक्सो, रायपुर के द्वारा, उनके न्यायालय में दोपहर 3.00 से 5.00 बजे के बीच उपस्थित होकर किया जायेगा।

(10) इस अवधि में एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अत्यावश्यक/रिमांड कार्य का संपादन इस हेतु नामित विशेष न्यायालय द्वारा संबंधित आरक्षी केन्द्र के द्वारा सूचित किये जाने पर

संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा, उनके न्यायालय में दोपहर 3.00 से 5.00 बजे के बीच उपस्थित होकर संपादित किया जायेगा। विशेष न्यायालय (एनडीपीएस) के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, श्री विजय कुमार होता, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रायपुर के द्वारा एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अत्यावश्यक/रिमांड कार्य का संपादन किया जावेगा।

(11) इस सम्पूर्ण अवधि में विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) रायपुर से संबंधित अत्यावश्यक कार्य/रिमांड कार्य का संपादन संबंधित आरक्षी केन्द्र के द्वारा सूचित किये जाने पर श्री विजय कुमार होता, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रायपुर के द्वारा न्यायालय में दोपहर 3.00 से 5.00 बजे के बीच उपस्थित होकर संपादित किया जायेगा। साथ ही उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के आदेश कमांक 298/दो–2–1/2021/गोपनीय/2021 के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. रायपुर का भी रिमाण्ड एवं अत्यावश्यक कार्य सम्पादित किया जावेगा।

(12) दिनांक 26/04/2021 से दिनांक 05/05/2021 तक जो जमानत आवेदन पत्र विचारार्थ लंबित हैं, उनकी सुनवाई भी इस अवधि में की जायेगी।

(13) इस अवधि में सत्र/अतिरिक्त सत्र न्यायालयों द्वारा जमानत आवेदन/ अत्यावश्यक कार्यो के सम्पादन हेतु, संबंधित तिथियों पर दोपहर 3:00 बजे से 5:00 बजे तक कार्य सम्पादन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती हैं :–

क	दिनांक	सुनवाई करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायालय का नाम
01	26-04-2021	श्री प्रशांत पाराशर, पंचम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
		श्री अमित राठौर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
02	27-04-2021	श्री प्रतिभा वर्मा, तृतीय अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
		श्री अनिल कुमार पाण्डेय, दशम अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
03	28-04-2021	श्रीमती ममता पटेल, विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई, रायपुर
		श्री श्रीकांत श्रीवास, अष्टम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर

04	29-04-2021	श्री विक्रम प्रताप चंद्रा, द्वादश अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
		श्रीमती लीना अग्रवाल, प्रथम, अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
05	30-04-2021	श्री अमित राठौर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
		श्रीमती प्रतिभा वर्मा, तृतीय अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
06	01-05-2021	श्री प्रशांत पाराशर, पंचम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
		श्री विक्रम प्रताप चंद्रा, द्वादश अति जिला एवं सत्र न्यायाधीश
07	03-05-2021	श्री श्रीकांत श्रीवास, अष्टम अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर
		श्री अनिल कुमार पाण्डेय, दशम अति.जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
08	04-05-2021	श्रीमती ममता पटेल, विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई, रायपुर
		श्री अजय सिंह राजपूत, चतुर्थ अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
09	05-05-2021	श्रीमती लीना अग्रवाल, प्रथम, अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
		श्री अजय सिंह राजपूत, चतुर्थ अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

(14) इस अवधि में मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा अत्यावश्यक कार्यो के सम्पादन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जावेगा।

(15) इस अवधि में गिरफतार किये गये व्यक्तियों की रिमाण्ड और जमानत के संबंध में उसी प्रकार कार्यवाही की जावेगी, जिस प्रकार सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर की जाती है।

(16) इस अवधि में किशोर न्याय बोर्ड माना कैम्प रायपुर के प्रधान मजिस्ट्रेट श्री सुमित कुमार हर्षयाना एवं बाह्य न्यायालय तिल्दा में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती कंचनलता आंचला, इसी कार्यव्यवस्था के अनुरूप प्रतिदिन अपने न्यायालय/बोर्ड में न्यूनतम स्टॉफ के साथ अत्यावश्यक कार्यो का सम्पादन करेंगे।

(17) इस आदेश द्वारा की गई कार्यव्यवस्था दिनांक 26.04.2021 से दिनांक 05.05.2021 तक ही मान्य होगी।

सही/–

(अरविन्द कुमार वर्मा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन कमांक **853**/कार्या./2021 रायपुर, दिनांक 25/04/2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर ।
2 विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटीज) रायपुर
3. विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई, रायपुर ।
4. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/द्वितीय फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय रायपुर/गरियाबंद।
6 प्रथम/ द्वितीय /तृतीय /चतुर्थ/ पंचम/षष्ठम /सप्तम/अष्टम/नवम/ दशम/एकादश/ द्वादश/त्रयोदश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर ।
7. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर/गरियाबंद।
8. प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. रायपुर।
9. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक, रायपुर/गरियाबंद।
10. प्रथम/द्वितीय/ तृतीय/ चतुर्थ/ पंचम/ सप्तम/ अष्टम/ नवम/दशम/ एकादश/द्वादश/त्रयोदश/चतुर्दश/ पंचदश/ षष्ठदश/ सप्तदश/ अष्टदश/ नवमदश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो, रायपुर/तिल्दा/राजिम/देवभोग।
11. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो के सप्तम अतिरिक्त न्यायाधीश, रायपुर ।
12. अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड रायपुर/गरियाबंद। (जे.एम.एफ.सी. राजिम)
13. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, रायपुर/गरियाबंद/तिल्दा/राजिम/ देवभोग की ओर आदेश की प्रतिलिपि (उनके न्यायालयों) के नोटिस बोर्ड पर अधिवक्तागण एवं जन सामान्य की जानकारी हेतु चस्पा करने हेतु ।
14 प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर शाखा की ओर आदेश की प्रतिलिपि इस निर्देश के साथ प्रेशित की आदेश की प्रतिलिपि जिला न्यायालय रायपुर के वेबसाईट में तत्काल अपलोड कराये।
15 प्रभारी अधिकारी समस्त अनुभाग एवं समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की ओर अपने-अपने अनुभाग/ न्यायालय में पदस्थ कर्मचारियों के मध्य सामान्य विधि से अथवा ई-मेल या वाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।
16. अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, रायपुर/अधिवक्ता संघ, गरियाबंद/तिल्दा/राजिम/देवभोग
17. जिला अभियोजन अधिकारी, रायपुर की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
18. कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, छ.ग.